

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2025—कार्तिक 2, शक 1947

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

क्र. एफ 04-09-2021-उन्तीस-1.—चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 07) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-04-09-2021-उन्तीस-1, दिनांक 8 सितम्बर 2023 को अधिक्रमित करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है.

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा :—

- | | |
|---|-----------|
| 1. मान. न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट | — अध्यक्ष |
| 2. मान. न्यायमूर्ति श्री विशाल मिश्रा | — सदस्य |
| 3. मान. न्यायमूर्ति श्री मनिन्दर सिंह भट्टी | — सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चंदेल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

क्र. एफ 04-09-2021-उन्तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चंदेल, उपसचिव.

Bhopal, the 24th October 2025

F. No. 04-09-2021-XXIX-1.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Black Marketing and maintenance of supplies Essential Commodities Act, 1980 (No. 07 of 1980) and in supersession of Order No. F. No. 04-09-2021-XXIX-1, dated 8th September 2023, the State Government hereby reconstitutes of Advisory Board for the purpose of said Act.

The Advisory Board henceforth shall be as follows :—

- | | | |
|---|---|----------|
| 1. Hon'ble Justice Shri Vishal Dhagat | — | Chairman |
| 2. Hon'ble Justice Shri Vishal Mishra | — | Member |
| 3. Hon'ble Justice Shri Maninder Singh Bhatti | — | Member |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.